

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2011—आश्विन 28, शक 1933

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-35-61-2005-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जावे.

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है:—

## अनुसूची

एन.टी.पी.सी. के विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, विंध्यनगर जिला सिंगरौली के अधीन कार्यरत समस्त कार्यक्षेत्र, मेरी गो राउन्ड (एम.जी.आर.), कार्यक्षेत्र एवं डाइक क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालक, ऑपरेटिव (प्रचालित) तथा अनुसचिवीय कर्मी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आलोक रंजन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-35-61-2005-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 20th October 2011

F- No. 35-61-2005-II-C-1; WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashayak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 20th October, 2011 for a period of three months:—

#### SCHEDULE

"Scientific, Technical, Operative, construction, Erection and Ministerial, personnel connected with All Working Areas, Merry Go Round Area and Ash Dyke Area of N.T.P.C. Vindhyaachal Super Thermal Power Station, Vindhya Nagar, Distt. Singrauli."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ALOK RANJAN, Secy.